न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 06/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
देवराज पुत्र भूराजी जाति रावल ब्राहम्ण निवासी रावलों का बास, पोस्ट ऑफिस के पास, बाली		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26/2/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार बाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राज सम्पर्क/2016/1198 दिनांक 03.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 25.07.2016 के द्वारा रेकर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सेला के खसरा नम्बर 546 अपीलाण्ट की खातेदारी एवं कब्जासुदा कृषि भूमि है एवं उसके चिपते हुए खसरा नम्बर 547 की भूमि है, जिसका रकबा 0.25 हैक्टेयर है, जिस भूमि का पूर्व में बलवन्तसिंह के नाम आवंटन किया गया है, जिसका आवंटन निरस्त किया गया था। यह भूमि अपीलाण्ट की भूमि से चिपती हुई है, इस भूमि पर अपीलाण्ट का कोई निर्माण नही है, किन्तु पडौसी ने कोई फर्जी तौरपर हिरालाल नाम का व्यकित बताते हुए शिकायत पेश की एवं उस पर सीधे ही बेदखल करने का आदेश दिया एवं कहा कि खसरा नम्बर 547 में 4 मीटर भूमि पर अतिक्रमण पाया, जबकि मौके पर धोरापाली है एवं माठ के तौर पर भी भूमि दबी हुई हो सकती है, जिसके लिये सही सर्वेक्षण करवाया जाना आवश्यक था। वैसे यह भूमि खसरा नम्बर 546 से जुडी होने से छोटी भू पट्टी के तौर पर अपीलाण्ट के हक में नियमन किये जाने योग्य है। राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार 2005 के पूर्व में अतिक्रमण नियमन योग्य है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने नियमन करने हेतु कोई शिफारिश नही की है। कोई भी शिकायत भूमिधारी के पास पहुँचती है, तो कायदे से हल्का पटवारी से रिपोर्ट लेनी थी, उसके बाद प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिवत सर्वे करके सही रूप से निस्तारण करना था, किन्तु ऐसा नही किया गया एवं विधि विरूद्ध रूप से आदेश पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सेला के खसरा नम्बर 547 रकबा 0.2500 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने पर बाद जांच करवाई जाकर विधिवत कार्यवाही अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील आदेश की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट

अति. जिला कलेक्टर, पाली

होता है कि श्री हीरालाल निवासी सेला द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर राजकीय सिवायचक भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर उस पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल रूकवाने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बाली द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक खुडाला एवं पटवारी हल्का धणी को शिकायत में वर्णित तथ्यों की जांच कर, बाद जांच ग्राम सेला में राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण पाये जाने की स्थिति में किये गये अतिक्रमण को चिन्हित कर तुरन्त ही मौके से अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही कराने के आदेश दिये। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का धणी एवं भू अभिलेख निरीक्षक खुडाला ने दिनांक 02.05.2016 को तहसीलदार बाली के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम सेला के खसरा नम्बर 547 रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि सिवायचक दर्ज है तथा उसके पडौसी खसरा नम्बर 546 के खातेदार देवराज द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में कमरे का निर्माण कार्य किया हुआ है। खसरा नम्बर 547 का सीमाज्ञान करने पर इसमें देवराज द्वारा 5 x 4 मीटर का अतिक्रमण पाया गया। इस पर तहसीलदार बाली द्वारा जैर अपील आदेश के द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु भू0अ0नि0 खुडाला को आदेश प्रदान किये गये।

हालांकि राजकीय सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाने का पूर्णतः उत्तरदायित्व बतौर भूमिधारी तहसीलदार का होता है एवं अतिक्रमण को विधि में प्रदत्त प्रक्रिया के तहत ही हटाया जाना चाहिये एवं पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाना न्याय संगत होता है, जिससे पक्षकारान को न्याय से महरूम न होना पड़े। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट का अतिक्रमण सिद्ध होने पर तहसीलदार द्वारा सीधे ही अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये है। पटवारी हल्का एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा जो मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की है, उस पर स्वयं अपीलाण्ट के हस्ताक्षर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुने एवं उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है एवं विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना नही की गई है। लिहाजा जैर अपील आदेश स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

परिणाम रूवरूप अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार बाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राज सम्पर्क/2016/1198 दिनांक 03.05.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 26/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली